पुनश्चः दिनांक 16.04.18 4:40 बजे

> डिकीदार अनुपस्थित। मदयून अनुपस्थित।

बार बार पुकार लगवाए जाने पर उभयपक्षों में से कोई उप0 नहीं। प्रकरण लंबे समय से स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत किए जाने हेतु नियत है, किन्तु आज दिनांक तक स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित भी नहीं हैं।

अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर संचयन हेतु अभिलेखागार भेजा जावे।

(Amit Kumar Gupta)

Civil judge class-1, Gohad dist.Bhind M.P.

WITHOUT PROPERTY PROP